न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 487/2024

अनवान : –

1. अमनदीप सिंह पुत्र रामसिंह जाति जटसिंख निवासी चक 16–17 के.एन.एन. तहसील नोहर
2. गगनदीप पुत्र रामसिंह जाति जटसिंख निवासी चक 16–17 के.एन.एन. तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. कर्मजीत कौर पुत्री गोविन्द सिंह जाति जटसिंख निवासी चक 16–17 के.एन.एन. तहसील नोहर
2. गुरमीत कौर पुत्री गोविन्दसिंह जाति जटसिंख निवासी चक 16–17 के.एन.एन. तहसील नोहर
3. लखविन्द्र कौर पत्नि रामसिंह जाति जटसिंख निवासी चक 16–17 के.एन.एन. तहसील नोहर
4. किरणजीत कौर पुत्री सरजीत सिंह जाति जटसिंख निवासी चक 16–17 के.एन. एन. तहसील नोहर
5. गुरप्यार सिंह पुत्र सुरजीतसिंह जाति जटसिंख निवासी चक 16–17 के.एन.एन. तहसील नोहर
6. जसपाल सिंह पुत्र सुरजीतसिंह जाति जटसिंख निवासी चक 16–17 के.एन.एन. तहसील नोहर
7. राजविन्द्र कौर पत्नि सुरजीतसिंह रायसिंह जाति जटसिंख निवासी चक 16–17 के.एन. एन. तहसील नोहर
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 23/03/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 16 के.एन.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 32/31 की कुल तादादी 0.5060 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा चक 16 के.एन.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 115/115 की कुल दादादी 2.9810 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 14 के.एन.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 32/32 की कुल तादादी 1.7710 हैक्टर भूमि स्थित है जिसके वादीगण एंव प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7 मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा चक 16 के.एन.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 32/31 की कुल तादादी 0.5060 हैक्टर भूमि में वादीगण प्रत्येक 1/12 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 3 अकेली 1/12 हिस्सा प्रतिवादी सं. 4 प्रत्येक 1/16

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:15:16 IST
Reason: SelfAttested

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। एवं रोही मौजा चक 16 के.एन.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 115/115 की कुल दादादी 2.9810 हिस्सा भूमि में वादीगण सं. 1 ता 2 प्रत्येक का 1/9 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1ता 2 प्रत्येक 1/6 हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 अकेली 1/9 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं. 4 ता 7 प्रत्येक का 1/12 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा चक 14 के.एन. एन. तहसील नोहर के खाता सं. 32/32 की कुल तादादी 1.7710 हैक्टर भूमि में वादीगण सं. 1 ता 2 प्रत्येक का 1/24 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 2 प्रत्येक का 1/8 हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 अकेली 1/24 हिस्सा प्रतिवादी सं. 4 ता 7 प्रत्येक का 1/32 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7 एक ही परिवार के सदस्य है तथा इनके पूर्वजो की कृषि भूमि राजस्थान एवं पंजाब दोनो जगह पर स्थित है तथा वादीगण राजस्थन में रहते है तथा उन्होने वाद भूमि का पूर्वजो के समय से बंटवारा कर लिया था मुताबिक बंटवारा के अनुसार वादीगण एंव प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7 काश्त करते है तथा मुताबिक बाहमी बंटवारा के अनुसार वादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 के वादग्रस्त कृषि भूमि में अपना हक व हिस्स अपने भतीजो वादीगण के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा इनके भतीजों ने पंजाब में स्थित है कृषि भूमि में अपना हक व हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पक्ष में परित्याग चुके है प्रतिवादी सं. 3 जो कि वादीगण की माता है तथा उसने भी अपना हक व हिस्सा वादीगण के पक्ष में परित्याग कर दिया है इसलिए रोही मौजा चक 16 के.एन.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 115/115 की कुल दादादी 2.9810 हिस्सा भूमि में वादीगण सं. 1 व 2 ब.हि.ब. 2/3 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 16 के.एन.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 32/31 की कुल तादादी 0.5060 हैक्टर भूमि में वादीगण सं. 1 ता 2 ब.हि.ब. 5/6 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 14 के.एन.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 32/32 की कुल तादादी 1.7710 हैक्टर भूमि में वादीगण सं. 1 ता 2 ब.हि.ब. 5/8 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का नाम कजमजन करवा पाने के अधिकारी है एवं शेष प्रतिवादीगण का हिस्सा यथावत रहेगा इसी अनुसार वादीगण न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज [illegible] वादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने [illegible] ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इ[illegible] जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवा[illegible]ण संख्या 1 लगायत 7 को कोई ऐतराज

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:15:16 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नही है। प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वादीगण एंव प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7 एक ही परिवार के सदस्य है तथा इनके पूर्वजो की कृषि भूमि राजस्थान एवं पंजाब दोनो जगह पर स्थित है तथा वादीगण राजस्थन में रहते है तथा उन्होने वाद भूमि का पूर्वजो के समय से बंटवारा कर लिया था मुताबिक बंटवारा के अनुसार वादीगण एंव प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7 काश्त करते है तथा मुताबिक बाहमी बंटवारा के अनुसार वादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 के वादग्रस्त कृषि भूमि में अपना हक व हिस्स अपने भतीजो वादीगण के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा इनके भतीजों ने पंजाब में स्थित है कृषि भूमि में अपना हक व हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पक्ष में परित्याग चुके है प्रतिवादी सं. 3 जो कि वादीगण की माता है तथा उसने भी अपना हक व हिस्सा वादीगण के पक्ष में परित्याग कर दिया है इसलिए रोही मौजा चक 16 के.एन.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 115/115 की कुल दादादी 2.9810 हिस्सा भूमि में वादीगण सं. 1 व 2 ब.हि.ब. 2/3 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 16 के.एन.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 32/31 की कुल तादादी 0.5060 हैक्टर भूमि में वादीगण सं. 1 ता 2 ब.हि.ब. 5/6 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 14 के.एन.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 32/32 की कुल तादादी 1.7710 हैक्टर भूमि में वादीगण सं. 1 ता 2 ब.हि.ब. 5/8 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का नाम कजमजन करवा पाने के अधिकारी है एवं शेष प्रतिवादीगण का हिस्सा यथावत रहेगा इसी अनुसार वादीगण न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी स0 1 लगायत 7 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौज़ा चक 16 के.एन.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 32/31 की कुल तादादी 0.5060 हैक्टर भूमि में वादीगण प्रत्येक 1/12 हिस्सा, एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 प्रत्येक 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 3 अकेली 1/12 हिस्सा प्रतिवादी सं. 4 ता 7 प्रत्येक 1/16 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। एवं रोही मौजा चक 16 के.एन.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 115/115 की कुल दादादी 2.9810 हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:15:16 IST
Reason: SelfAttested

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भूमि में वादीगण सं. 1 ता 2 प्रत्येक का 1/9 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1ता 2 प्रत्येक 1/6 हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 अकेली 1/9 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं. 4 ता 7 प्रत्येक का 1/12 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा चक 14 के.एन.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 32/32 की कुल तादादी 1.7710 हैक्टर भूमि में वादीगण सं. 1 ता 2 प्रत्येक का 1/24 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 2 प्रत्येक का 1/8 हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 अकेली 1/24 हिस्सा प्रतिवादी सं. 4 ता 7 प्रत्येक का 1/32 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादी का कथन है कि वादीगण एंव प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7 एक ही परिवार के सदस्य है तथा इनके पूर्वजो की कृषि भूमि राजस्थान एवं पंजाब दोनो जगह पर स्थित है तथा वादीगण राजस्थन में रहते है तथा उन्होने वाद भूमि का पूर्वजो के समय से बंटवारा कर लिया था मुताबिक बंटवारा के अनुसार वादीगण एंव प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7 काश्त करते है तथा मुताबिक बाहमी बंटवारा के अनुसार वादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 के वादग्रस्त कृषि भूमि में अपना हक व हिस्स अपने भतीजो वादीगण के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा इनके भतीजों ने पंजाब में स्थित है कृषि भूमि में अपना हक व हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पक्ष में परित्याग चुके है प्रतिवादी सं. 3 जो कि वादीगण की माता है तथा उसने भी अपना हक व हिस्सा वादीगण के पक्ष में परित्याग कर दिया है इसलिए रोही मौजा चक 16 के.एन.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 115/115 की कुल दादादी 2.9810 हिस्सा भूमि में वादीगण सं. 1 व 2 ब.हि.ब. 2/3 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 16 के.एन.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 32/31 की कुल तादादी 0.5060 हैक्टर भूमि में वादीगण सं. 1 ता 2 ब.हि.ब. 5/6 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 14 के.एन.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 32/32 की कुल तादादी 1.7710 हैक्टर भूमि में वादीगण सं. 1 ता 2 ब.हि.ब. 5/8 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का नाम कजमजन करवा पाने के अधिकारी है एवं शेष प्रतिवादीगण का हिस्सा यथावत रहेगा इसी अनुसार वादीगण न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी स0 1 लगायत 7 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 के.एन.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 115/115 की कुल दादादी 2.9810 हिस्सा भूमि में वादीगण सं. 1 व 2 ब.हि.ब. 2/3 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 16 के.एन.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 32/31 की कुल तादादी 0.5060 हैक्टर भूमि में वादीगण सं. 1 ता 2 ब.हि.ब. 5/6 हिस्सा भूमि के एवं रोही मौजा चक 14 के.एन.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 32/32 की कुल तादादी 1.7710 हैक्टर भूमि में वादीगण सं. 1 ता 2 ब.हि.ब. 5/8 हिस्सा भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:15:16 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का नाम कजमजन कलमजन किया जाता है एवं शेष प्रतिवादीगण का हिस्सा यथावत रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक ....23/03/26.... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:15:16 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 487/2024

अनवान : –

1. अमनदीप सिंह पुत्र रामसिंह जाति जटसिंख निवासी चक 16–17 के.एन.एन. तहसील नोहर
2. गगनदीप पुत्र रामसिंह जाति जटसिंख निवासी चक 16–17 के.एन.एन. तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. कर्मजीत कौर पुत्री गोविन्द सिंह जाति जटसिंख निवासी चक 16–17 के.एन.एन. तहसील नोहर
2. गुरमीत कौर पुत्री गोविन्दसिंह जाति जटसिंख निवासी चक 16–17 के.एन.एन. तहसील नोहर
3. लखविन्द्र कौर पत्नि रामसिंह जाति जटसिंख निवासी चक 16–17 के.एन.एन. तहसील नोहर
4. किरणजीत कौर पुत्री सरजीत सिंह जाति जटसिंख निवासी चक 16–17 के.एन. एन. तहसील नोहर
5. गुरप्यार सिंह पुत्र सुरजीतसिंह जाति जटसिंख निवासी चक 16–17 के.एन.एन. तहसील नोहर
6. जसपाल सिंह पुत्र सुरजीतसिंह जाति जटसिंख निवासी चक 16–17 के.एन.एन. तहसील नोहर
7. राजविन्द्र कौर पत्नि सुरजीतसिंह रायसिंह जाति जटसिंख निवासी चक 16–17 के.एन.एन. तहसील नोहर
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 487 सन 2024 निर्णय दिनांक 23/03/2026

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 के.एन.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 115/115 की कुल दादादी 2.9810 हिस्सा भूमि में वादीगण सं. 1 व 2 ब.हि.ब. 2/3 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 16 के.एन.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 32/31 की कुल तादादी 0.5060 हैक्टर भूमि में वादीगण सं. 1 ता 2 ब.हि.ब. 5/6 हिस्सा भूमि के एवं रोही मौजा चक 14 के.एन.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 32/32 की कुल तादादी 1.7710 हैक्टर भूमि में वादीगण सं. 1 ता 2 ब.हि.ब. 5/8 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का नाम कजमजन कलमजन किया जाता है एवं शेष प्रतिवादीगण का हिस्सा यथावत रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करें। [illegible] अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/03/2026 को हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:15:16 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर